


II प्रसंख्य 0/रीवा/2018/02423

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल सर्किट कोर्ट रीवा श्रीमान सदस्य  
महोदय सर्किट कोर्ट रीवा (म0प्र0)



कमलभान कोल तनय खेलाड़ी कोल, उम्र लगभग 40 वर्ष, पेशा-मजदूरी व  
खेती, निवासी-गाम नवागांव, तहसील हुजूर, जिला रीवा (म0प्र0)

.....आवेदक

शासन मध्यप्रदेश बनाम .....अनावेदक

आवेदक की ओर से  
द्वी देवदत्त चौधरी  
व्यप पेशा 16.4.18

16.4.18  
कलक ऑफ कोर्ट  
राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालिबर  
(सर्किट कोर्ट) रीवा

आवेदक पत्र  
विषय विरुद्ध आदेश न्यायालय श्रीमान राजस्व  
सदस्य महोदय रीवा म० प्र० बावत्  
मण्डल II निगरानी रीवा 2018/0225  
प्रकरण क्र० 280/अ-19/16-17 आदेश  
दिनांक 22.09.17 15/3/18

प्रार्थना पत्र बावत् अदम पैरवी में खारिजी  
आदेश दिनांक 15.03.18 निरस्त करा पाने हेतु  
अन्तर्गत धारा 35(3) म0प्र0मू0रा0सं0 1959 ई0

मान्यवर,

प्रार्थना पत्र के आधार निम्नलिखित हैं :-

1. यह कि आवेदक/निगरानीकर्ता ने निगरानी वकील साहब के माध्यम से माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया था जिसकी कार्यवाही न्यायालय (कार्यालय) द्वारा तारीख पेशी वाद में बताने का आश्वासन दे दिया था परन्तु पेशी की जानकारी 15.03.18 के संबंध में नहीं हो पायी, कारण निम्न हैं-

क. प्रार्थी के बालक का एक्सीडेन्ट छोटू कोल तनय कमलभान कोल का एक्सीडेन्ट होने के कारण दवाई कराने के लिये जबलपुर व रीवा

Handwritten signature/initials

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर  
आदेश पृष्ठ  
भाग - अ

57

II/पुनर्स्थापन/रीवा/भू0रा0/2018/02413

कमलभान कोल


विरुद्ध

म0प्र0 शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
------------------	---------------------	--

20-6-2018

आवेदक अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। आवेदक अभिभाषक ने पुनर्स्थापन आवेदन में ऐसा कोई ठोस आधार अंकित नहीं किया है जिससे प्रकरण को पुनर्स्थापित किया जा सके। फलस्वरूप यह पुनर्स्थापन आवेदन अमान्य किया जाता है। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।

  
(आर0 के मिश्रा)  
सदस्य

